न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं. 2019/00160 (160/2019) 225 आरटीएक्ट

कृष्णलाल पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 9 मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

–: बनाम :–

1. पुरखाराम पुत्र स्व0 श्री रामजी जाति जाट निवासी वार्ड नं. 10 मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ। – रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 08.07.2019 सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ मु. नं. 490/2019 बअनवानी पुरखाराम बनाम कृष्णलाल आदि

श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

निर्णय दिनांक –14.10.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1/प्रार्थी पुरखाराम ने उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (1) (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (संशोधन अधिनियम सन् 2010) में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि उसकी भूमि में आने जाने के लिए चक 18 एनडीआर के प. नं. 139/338 (32) के किला नं. 25 में पूर्वी सीरे पर रास्ता चालू है। इसी रास्ते से वह मंजूरशुदा रास्ते पर पहुंचता है। अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। वह रास्ते में आई भूमि के बदले में भूमि देने के लिए तैयार है अतः उक्त रास्ता प्रार्थना–पत्र में वर्णितानुसार स्वीकार किया जाने का अनुतोष रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने मांगा। विचारण न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया एवं स्थगन आदेश जारी करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किये जाने के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के आज्ञापक सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आकर जवाब प्रस्तु करके यह स्पष्ट किया है कि वादग्रस्त भूमि प. नं. 139/338 (32) किला नं. 25/2 में केाई रास्ता चालू नहीं है। एवं प. नं. 139/338 (32) के किला नं. 21/2 में मौका पर रास्ता चालू है जिसमें से रेस्पोडेण्ट अपने खेत में आ जा सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा किया है। उक्त भूमि जरिये वाद विनोद बनाम कृष्णलाल वाद सं0 216/18 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2018 के द्वारा सम्पूर्ण भूमि विनोद के नाम खातेदारी घोषित की जा चुकी है तथा वादग्रस्त भूमि उसी के कब्जा काश्त में है। अपीलाण्ट ने विचारण न्यायालय में अपने जवाब में स्पष्ट कथन किया था कि विवादित भूमि में उसका कोई हित नहीं है। रेस्पोडेण्ट अपीलाण्ट के विरुद्ध कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है। रेस्पोडेण्ट ने भी आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके विनोद कुमार को वादग्रस्त भूमि का खतोदार मानकर प्रकरण में पक्षकार बनाने हेतु आवेदन प्रस्तु किया था परन्तु विचारण न्यायलाय ने रेस्पोडेण्ट के इस तयि को स्वीकृत करके कि विवादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट का कोई हित नहीं है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा है। प. नं. 139/338 (32) किला नं. 25/2 में रास्ता हमेशा से चालू रहा हो ऐसा केाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल मात्र रेस्पोडेण्ट की सुविधा को देखते हुए रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1985 पेज 851, डीएनजे 2017 (1) पेज 35 एचसी, आरआरटी 2014 (2) पेज 1391, आरआरडी 1996 पेज 109, आरआरडी 1984 पेज 584, आरआरटी 2016 (1) पेज 649, आरआरटी 2017 (1) पेज 423, आरआरडी 2017 पेज 515 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी रास्ता स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया था जिसमे अपीलाण्ट/अप्रार्थी ने उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि उसके नाम दर्ज न होकर उसके पुत्र विनोद कुमार के नाम दर्ज है व उसी के कब्जा काश्त में है। अपीलाण्ट ने अपने नाम कब भूमि करवा ली यह नहीं हमें नहीं मालूम है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में यह भूमि कृष्ण के नाम है एवं राजस्व रिकार्ड

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

थी तो अपील भी उसके बेटे विनोद को ही करनी चाहिए थी अपीलाण्ट अपील नहीं करनी चाहिए थी। रेस्पोडेण्ट हमेशा से ही किला नं. 25 की पूर्वी सींव से होते हुए अपनी भूमि के किला नं. 16 में बनी ढाणी व ट्यूबवैल तक आवागमन जारी रखे हुए हैं। इस कारण यही रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है। मौका पर किला नं. 21 के पश्चिमी सिरे पर ना तो कोई रास्ता ना ही किला नं. 21 से रेस्पोडेण्ट ने कभी आवागमन किया है। अपीलाण्ट ने किला नं. 25 में चालू रास्ते पर जेसीबी से गहरे खड्डे खोदकर उसका रास्ता अवरूद्ध कर दिया था जिसे पुलिस की सहायता से भरवाया गया था। तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अभि प्रकरण प्रकरण विचाराधीन है। अपीलाण्ट ने अंतरिम आदेश की अपील प्रस्तुत की हैं। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीरएनजे 2019 (1) पेज 113 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ़ का पत्रांक 23.09.2019 अपील प्रस्तुत होने के बाद के दस्तावेज हैं। इसलिए इन्हें अभिलेख पर लिया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलाण्ट का आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

6. जहां तक गुणागुण का प्रश्न है। रेस्पोडेण्ट ने अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृति हेतु 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र को प्रस्तुत किया है, जिसमें आदेश दिया गया कि "मौका पर चालू रास्ता पर प्रार्थी के आवागमन में आगामी आदेश तक किसी प्रकार से बाधा कारित करने से निषेध रहे। यदि इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 को कोई एतराज हो तो निर्धारित तिथि तक न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थना–पत्र 251 (ए) के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई किया जा सकता है।" इस तिथि को अप्रार्थी की तलबी हेतु आगामी तारीख पेशी दी गई। आगामी पेशी 19.08.2019 पर अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित आये उनके द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र का जवाब एवं फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज पेश किये। प्रार्थना–पत्र पर बहस हेतु समय चाहा। अप्रार्थी ने विनोद कुमार को पक्षकार बनाने हेतु आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया था। उभयपक्षों के उपिस्थत आने पर एकपक्षीय स्थगन प्रार्थना–पत्र का पहले निस्तारण 30 दिवस में करना चाहिए था। एकपक्षीय स्थगन आदेश का निस्तारण न किया जाकर बार बार बढाया जा रहा है प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील अपीलाण्ट

Web Copy - Not Official

स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2019 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिका
हनुमान

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Rani
Date: 2019.11.26 12:43:20
Reason: SelfAttested
Location: